SHOT ON [illegible] AI DUAL CAMERA

बैठक की उपस्थिति एवं निर्णय

आज दिनांक 08.02.2017 को अपराह्न 4.00 बजे IQAC की एक बैठक कुलपति महोदय के आवासीय कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् थी -

1. कुलपति - अध्यक्ष [signature] 08.02.17
2. प्रो० सदानन्द शुक्ल - सदस्य [signature] 8/2/17
3. प्रो० हर प्रसाद दीक्षित - सदस्य - [signature]
4. प्रो० हरि प्रसाद अधिकारी - सदस्य 8.2.17 [signature] 8/2/17
5. प्रो० हेतराम कछवाह - सदस्य
6. प्रो० हरिशंकर पाण्डेय - सदस्य [signature] 8.2.2017
7. वित्त अधिकारी - सदस्य
8. श्री रामगोपाल मोहले - विशेष आमंत्रित सदस्य
9. समन्वयक, IQAC cell - बाह्य सदस्य
   म० गाँ० काशी विद्यापीठ, वाराणसी
10. महन्त श्री संतोष दासजी महाराज - बाह्य सदस्य
    (सतुआ बाबा), वाराणसी
11. कुलसचिव - सदस्य
12. डॉ० दुर्गानन्दन तिवारी - सदस्य [signature] 8/2/17
13. डॉ० रमेश प्रसाद - सदस्य/सह समन्वयक [signature] 8.2.17
14. प्रो० सुधाकर मिश्र - समन्वयक - सुधाकर मिश्र

निर्णय - बैठक में सभी विचारणीय बिन्दुओं पर गहन विचार विमर्श हुआ। विमर्श के अनन्तर यह निर्णय लिया गया कि उक्त समिति की अगली बैठक में उक्त बिन्दुओं पर पुनर्विचार किया जाये। समस्त बिन्दु अगले पृष्ठ पर पृष्ठांकित है।

[signature] [signature] 8/2/17 [signature] 08.2.17 [signature] 8.2.17 सुधाकर मिश्र

[signature] 8/2/17 [signature] 8/2/17 [signature] 8/2/17 [signature] 08.02.17

दिनाङ्क 08.02.2017 को अपराह्न 4.00 बजे आहूत IQAC समिति की बैठक में विचारणीय बिन्दू -

1. विज्ञापन संख्या 1/2016 में विज्ञापित प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार।
2. यू०जी०सी० की कैरियर एडवान्समेण्ट योजनान्तर्गत प्रोफेसर AGP 10,000/- (स्टेज 4 से स्टेज 5), असिस्टेण्ट प्रोफेसर AGP 7,000/- (स्टेज 1 से स्टेज 2), असिस्टेण्ट प्रोफेसर AGP 8,000/- (स्टेज 2 से स्टेज 3) तथा सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष AGP 8,000/- (स्टेज 2 से स्टेज 3), पदों पर प्रोन्नति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार।
3. प्रोफेसर पद पर नियुक्ति हेतु Concerned (सम्बन्धित)/ allied (समकक्ष)/ relevant (प्रासंगिक) विषय में Ph.D. (पी-एच.डी.) उपाधि के सम्बन्ध में विचार।
4. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अध्यापन अनुभव के सम्बन्ध में विचार।
5. महाविद्यालयों के अस्थायी अध्यापक/विश्वविद्यालय के अतिथि अध्यापक के अनुभव को अध्यापन अनुभव के रूप में स्वीकार करने पर विचार।
6. वर्तमान में ISSN प्राप्त पत्रिका के पूर्व अंकों को भी से ISSN युक्त पत्रिका मानने पर विचार।
7. यू०जी०सी० द्वारा पी-एच०डी० के छात्रों के निर्देशन की अनिवार्यता के सम्बन्ध में विचार।
8. डॉ. विशाखा शुक्ला तथा डॉ० संगीता चौहान की CAS के अन्तर्गत प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार।
9. डॉ. लतापंत तैलंग की CAS के अन्तर्गत प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार।
10. साक्षात्कार/रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय यदि अनुभव सम्बन्धी अर्हता Selection के लिए धारित करता है, तो उसे लाभ दिये जाये अथवा नहीं।

सुधाकर मिश्र 08/02/16

(प्रो. सुधाकर मिश्र)
समन्वयक
IQAC
सं.सं.वि.वि., वाराणसी

SHOT ON itel
AI DUAL CAMERA

(2-5)

बैठक की उपस्थिति एवं निर्णय

आज दिनांक 13.02.2017 को अपराह्न 4.00 बजे IQAC की बैठक माननीय कुलपति महोदय के आवासीय कार्यालय में सम्पन्न हुई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् थी —

1. कुलपति - अध्यक्ष (signature) 13.02.17
2. प्रो० सदानन्द शुक्ल - सदस्य (signature) 13.2.17
3. प्रो० हर प्रसाद दीक्षित - सदस्य (signature) 13.2.17
4. प्रो० हरि प्रसाद अधिकारी - सदस्य (signature) 13.2.17
5. प्रो० हेतराम कछवाह - सदस्य
6. प्रो० हरिशंकर पाण्डेय - सदस्य (signature) 13.2.17
7. वित्त अधिकारी - सदस्य
8. श्री सेम राम गोपाल मोहले - सदस्य
9. समन्वयक IQAC cell - सदस्य
   म० गां० काशी विद्यापीठ, वाराणसी -
10. महन्त श्री संतोषदास जी महाराज - सदस्य
    (सतुआ बाबा), वाराणसी
11. कुलसचिव - सदस्य
12. डॉ० दुर्गानन्दन तिवारी - सदस्य (signature) 13.2.17
13. डॉ० रमेश प्रसाद - सदस्य/सह समन्वयक (signature) 13.2.17
14. प्रो० सुधाकर मिश्र - समन्वयक सुधाकर मिश्र 13.02.17

कार्यवृत्त - दिनांक 08.02.2017 को IQAC की पूर्व बैठक में दस विचारणीय बिन्दु रखे गये थे। उन बिन्दुओं पर विचार-विमर्श हुए थे, लेकिन अन्तिम निर्णय हेतु समिति की अगली बैठक बुलाने की सिफारिश की गई थी जिसका अनुमोदन माननीय कुलपति महोदय ने किया था। आज दिनांक 13.02.17 की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये -

1. विज्ञापन संख्या 1/2016 में विज्ञापित प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर यू.जी.सी. द्वारा निर्देशित नियमों को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जाये।
2. यू.जी.सी. की कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत विश्वविद्यालय के जो अध्यापक / सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष प्रोन्नति हेतु आवेदन किये हैं तथा वे API एवं अन्य वांछित अर्हताएँ पूर्ण करते हैं, उन सभी की प्रोन्नति संबंधी प्रक्रियाएँ यथाशीघ्र सुनिश्चित की जाये।
3. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले

SHOT ON itel

'क' वर्गीय, वेदमूलक दर्शनों के न्याय, व्याकरण, ज्योतिष एवं वेद को छोड़कर शेष विषय, पालि / बौद्ध दर्शन तथा प्राकृत · जैनागम / जैन दर्शन वर्गों के विषय एक-दूसरे से concerned ( ), allied ( ) तथा relevant ( ) प्रकृति के अन्तर्गत आते हैं। विगत वर्षों में अध्यापकों की नियुक्तियों में इन परम्परागत विषयों को एक-दूसरे का concerned/ allied/ relevant माना जा चुका है। अतः 'क' वर्गीय वेदमूलक दर्शनों के न्याय, व्याकरण, ज्योतिष एवं वेद को छोड़कर शेष विषय, पालि / बौद्ध दर्शन तथा प्राकृत एवं जैनागम / जैन दर्शन वर्गों के विषय परस्पर सम्बन्धित होने के कारण आने वर्गों से पी-एच.डी. उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी तत्सम्बन्धित वर्गों में प्रोफेसर / एसोसिएट प्रोफेसर पद हेतु भी समझे जावें।

4. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अनुदानित महाविद्यालय में स्थायी रूप से अध्यापन कर रहे अध्यापकों की सेवा को अध्यापन सेवा समझा जावे।

5. विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में अस्थायी / अतिथि अध्यापक के रूप में अध्यापन करनेवाले अध्यापकों की सेवा को प्रोफेसर / एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु वांछित अध्यापन-अनुभव के रूप में स्वीकार न किया जावे।

6. जिन पत्रिकाओं को वर्तमान में ISSN प्राप्त है, लेकिन पूर्व के उनके अंकों में ISSN का उल्लेख नहीं है (यथा सारस्वती सुषमा आदि), तब भी उस पत्रिका के पूर्व के अंकों को भी ISSN से युक्त मान लिया जावे, क्योंकि पूर्व अंकों के परीक्षण के आधार पर ही उस पत्रिका को बाद के अंकों के लिए ISSN प्राप्त हुआ है।

7. यू.जी.सी. द्वारा निर्दिष्ट विद्यावारिधि (Ph.D.) निर्देशन के अनुभव के अन्तर्गत उसके तीनों स्तरों को सम्मिलित किया जावे अर्थात् (क) किसी अध्यापक के निर्देशन में कोई छात्र Ph.D. की उपाधि प्राप्त कर चुका हो, (ख) किसी अध्यापक के निर्देशन में कोई छात्र शोध-प्रबन्ध जमा कर चुका हो, तथा (ग) किसी अध्यापक के निर्देशन में कोई छात्र अपना शोध-कार्य कर रहा हो।

8. डॉ० [illegible] शुक्ला तथा डॉ० संगीता चौहान की [illegible] के सम्बन्ध में समिति ने विधिक राय (legal opinion) [illegible] हेतु ~~[illegible]~~ माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया

9. डॉ० लतागीत तैलंग मैडम की प्रोन्नति की सम्बन्ध में कोई भी निर्णय समिति की अगली बैठक में किये जाने का निश्चय हुआ।

10. साक्षात्कार / रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय यदि कोई अभ्यर्थी अनुभव सम्बन्धी अर्हता selection के समय (यदि वह अभ्यर्थी स्थायी सेवा में हो) धारित करता है, तो उसे साक्षात्कार हेतु पात्र निर्धारित किया जा सकता है।

13/2/17 ह० अपठनीय 13-02-17 13.02.17 13.2.17

13.02.17

13-02-17